

न्यायालय आरि. जिला कलक्टर, सीकर
दूली बनाम गुलाबी
किस्म मुकदमा अपील मु. नं. ५१ वर्ष २००९

दिनांक	आज्ञा-पत्र
१३/७/१८	<p>पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्त को आवाज दिलवाई गई। वार-वार आवाज दिलवाने के बावजूद कोई उपास्थित नहीं किया। अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी- अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकतिल दायिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">13/7/18</p>

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official